**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1058**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**श्रमिकों के लिए आवास योजना**

**1058. श्री लाल सिंह वडोदिया:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्रमिकों की आवास समस्या के समाधन हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारु दत्तात्रेय)**

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय संबं‎धित उपकर ‎निधि अ‎धिनियम के तहत एक‎त्रित उपकर में से केवल बीड़ी और गैर कोयला खान कामगारों के ‎लिए संशो‎धित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस), 2007 का ‎क्रियान्वयन कर रहा है। 40,000/- रुपये की आवासीय सहायता इन कामगारों को दो सामान ‎किश्तों में प्रदान की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य बीड़ी, लौह अयस्क खान/मैंगनीज अयस्क खान/क्रोम अयस्क खान कामगारों और चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान कामगारों को आवासीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2015-16 में ‎सिने कामगारों को भी आरआईएचएस, 2007 में शा‎मिल ‎किया गया है।

(ख) और (ग): ‎पिछले तीन वर्षों के दौरान आरआईएचएस के तहत ‎निर्मित गृहों के राज्यवार ब्यौरे ‎निम्नानुसार है:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **राज्य** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
| आन्ध्र प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य |
| असम | शून्य | शून्य | शून्य |
| ‎बिहार | 1439 | 3134 | 1016 |
| छत्तीसगढ़ | 01 | 19 | -- |
| गुजरात | शून्य | शून्य | शून्य |
| झारखण्ड | 1403 | 1835 | 1588 |
| कर्नाटक | 125 | 80 | 293 |
| केरल | 122 | 259 | 182 |
| मध्य प्रदेश | 3146 | 4492 | 2364 |
| महाराष्ट्र | -- | 117 | 210 |
| ओ‎डिशा | 568 | 1612 | 3611 |
| राजस्थान | 88 | -- | 161 |
| ‎त्रिपुरा | शून्य | शून्य | शून्य |
| त‎मिलनाडु | शून्य | शून्य | 363 |
| उत्तर प्रदेश | 369 | 116 | 786 |
| प‎श्चिम बंगाल | 10132 | 1417 | 6078 |
| **सकल कुल** | **17393** | **13081** | **16552** |

\*\*\*\*\*